

## कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज.)

### — कार्यालय आदेश —

क्रमांक : 74

दिनांक : 20/08/26

राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.01(01)न्याय/2026 जयपुर दिनांक 22.06.2026 द्वारा जैसलमेर न्यायक्षेत्र में पोकरण मुख्यालय पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, पोकरण का सृजन किया गया है। साथ ही वर्तमान में कार्यरत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण का नाम परिवर्तित करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, पोकरण निर्धारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/5/2026 दिनांक 21.07.2026 द्वारा नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, पोकरण का बैठक का स्थान पोकरण निर्धारित किया गया है।

अतः मैं ओमी पुरोहित, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 की धारा 7 एवं 10 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता हूँ कि उपखण्ड भणियाणा के समस्त राजस्व क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य समस्त प्रकार के दीवानी मामलों (विशिष्ट अधिनियमों के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरणों एवं जिन क्षेत्राधिकार के संबंध में सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिये विशिष्ट न्यायालय गठित है, उनके अलावा) का संस्थापन एवं सुनवाई तुरन्त प्रभाव से नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, पोकरण द्वारा की जाएगी।

वर्तमान में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, पोकरण के न्यायालय में भणियाणा उपखण्ड के समस्त राजस्व क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य समस्त प्रकार के लंबित दीवानी प्रकरणों (विशिष्ट अधिनियमों के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरणों एवं जिन क्षेत्राधिकार के संबंध में सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिये विशिष्ट न्यायालय गठित है, उनके अलावा) की सूची एवं लम्बित सभी दीवानी मामलों की सूची अलग-अलग इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवायी जावें।

— 54 —

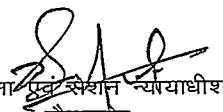
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जैसलमेर

दिनांक : 20.08.26

क्रमांक : स्था./2026/783

प्रति:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है :

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. समस्त न्यायालय, जैसलमेर न्यायक्षेत्र।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01/02, पोकरण को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार न्यायालय की मुहरें बनायी जाकर नियमानुसार उपयोग में लायी जावें।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जैसलमेर/पोकरण।
6. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय प्रति

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जैसलमेर

## कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज.)

### — कार्यालय आदेश —

क्रमांक : 75

दिनांक : 20<sup>08</sup>/<sub>26</sub>

राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.01(01)न्याय/2026 जयपुर दिनांक 22.06.2026 द्वारा जैसलमेर न्यायक्षेत्र में पोकरण मुख्यालय पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, पोकरण का सृजन किया गया है। साथ ही वर्तमान में कार्यरत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण का नाम परिवर्तित करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, पोकरण निर्धारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/5/2026 दिनांक 21.07.2026 द्वारा सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, पोकरण के न्यायालय के बैठक का स्थान पोकरण निर्धारित किया गया है।

अतः मैं ओमी पुरोहित, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता हूँ कि उपखण्ड पोकरण एवं उपखण्ड भणियाणा के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों भणियाणा, फलसूण्ड, सांकड़ा, नाचना से संबंधित सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य समस्त प्रकार के फौजदारी मामलों (विशिष्ट अधिनियमों के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरणों एवं जिन क्षेत्राधिकार के संबंध में सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिये विशिष्ट न्यायालय गठित है, उनके अलावा) का संस्थापन एवं सुनवाई तुरन्त प्रभाव से नवसृजित न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, पोकरण द्वारा की जायेगी।

वर्तमान में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, पोकरण के न्यायालय में पुलिस थाना भणियाणा, फलसूण्ड, सांकड़ा, नाचना से संबंधित उपर्युक्तानुसार लंबित अन्तरण योग्य फौजदारी प्रकृति के सभी प्रकरणों (विशिष्ट अधिनियमों के अधीन संस्थित होने वाले प्रकरणों एवं जिन क्षेत्राधिकार के संबंध में सम्पूर्ण राजस्व जिले के लिये विशिष्ट न्यायालय गठित है, उनके अलावा) की सूची इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवायें।

—sd—  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जैसलमेर  
दिनांक : 20.08.26

क्रमांक : स्था./2026/ 784

प्रति:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है :

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. समस्त न्यायालय, जैसलमेर न्यायक्षेत्र।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01/02, पोकरण को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार न्यायालय की मुहरें बनायी जाकर नियमानुसार उपयोग में लायी जावें।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जैसलमेर/पोकरण।
6. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जैसलमेर